न्यायालय:- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सं० 03 बाडी, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - आयुष गुप्ता, आर.जे.एस.
दीवानी वाद संख्या - 24/2017
सीएनआर नंबर - RJDH-07000326-2017

1. नत्थीलाल पुत्र धुर्रे, उम्र 60 साल, निवासी ग्राम अलीगढ़, तहसील बाडी, जिला धौलपुर, राजस्थान। **(दौराने विचारण फौत)**

1/1 रामबेटी बेवा नत्थीलाल
1/2 केदार पुत्र नत्थीलाल
1/3 बृजेश पुत्र नत्थीलाल
1/4 भवानी शंकर पुत्र नत्थीलाल
1/5 गुड्डी पुत्री नत्थीलाल
1/6 मनोज पुत्री नत्थीलाल
1/7 सीमा पुत्री नत्थीलाल, समस्त निवासीगण ग्राम अलीगढ, तहसील बाडी, जिला धौलपुर राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. बंगाली पुत्र बाल मुकुन्द **(दौराने विचारण फौत)**
2. मुकेश पुत्र रामजीलाल
3. रामसेवक पुत्र रामजीलाल
4. सतीश पुत्र रामजीलाल
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, जिला धौलपुर राज.
6. श्रीमान तहसीलदार साहब बाड़ी, तहसील बाडी जिला धौलपुर राज.

.........प्रतिवादीगण

उपस्थिति:-

1- श्री सुरेश त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2- श्री संजीव शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण 2 लागयत 4 की ओर से।
3- प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की एक पक्षीय कार्यवाही है।

वाद बाबत स्वत्व घोषणा, हुक्म इम्तनाई दवामी व सादेशात्मक व्यादेश

--निर्णय-- **दिनांक: 30-03-2026**

01- यह पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक 117 दिनांक 25-09-2017 की पाालना में न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश, बाडी, धौलपुर के यहां से अंतरित होकर हस्तगत न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर की गई।

02- वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का गैरमुमकिन कुंआ आराजी खसरां न. 634 रकवा 3 विस्वा वाके ग्राम अलीगढ तहसील बाडी जिला धौलपुर में स्थित है एवं उक्त खसरा नं. से सटा हुआ पश्चिमी दिशा में आराजी खसरा नं. 633 स्थित है। नकल जमाबंदी नक्शा पेश है। वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के कुंआ धरखाम विटौरा आराजी खसरा नं. 634 व 633 स्थित ग्राम अलीगढ तहसील बाडी में बने हुए हैं। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार से हैं कि पूर्व में रास्ता आम, पश्चिम में खाली जगह, उत्तर में रास्ता आम उसके बाद अटल सेवा केन्द्र, दक्षिण में जमीन रोशन वगै. है। वादी के धरखाम, कुंआ व जायदाद को अक्षर अ, ब, स, द, क, ख से नामांकित व लाल रंग से प्रदर्शित सविवरण माप सहित अंकित किया गया है। उक्त लाल रंग से प्रदर्शित सम्पत्ति को वाद पत्र में विवादित सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है। नक्शा वाद पत्र का आवश्यक अंग है। विवादित सम्पत्ति वादी को विरासतन प्राप्त हुई है जो वादी की पुश्तैनी है। विवादित सम्पत्ति वादी के पूर्ण उपयोग व उपभोग में है। जिसमें वादी का एक पीपल का पेड़ काफी पुराना खड़ा है। विवादित सम्पत्ति में हैंडपम्प लगा हुआ है। वादी का सोना, उठना-बैठना है। कुंआ व धरखाम बना हुआ है जिसमें वादी निवास करता है। विटौरा रखा हुआ व घूरा पड़ा है। यानी वादी विवादित जायदाद पर अपने पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्षों से अधिक समय से लगातार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चला आ रहा है तथा आज भी काबिज है तथा खण्डों की बाउण्ड्री भी है। वादी के पूर्व पुरुष के समय से विवादित सम्पत्ति पर कब्जा अति देरीना होने से 'एडवर्स पजेशन' और प्रतिकूल कब्जा से भी 'पजेशन फोलो टाईटल' वादी को कानूनन स्वामित्वीय व मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये हैं

एवं वादी शांतिपूर्वक लगातार आज तक भौतिक रूप से आधिपत्य धारण किये हुए है। वादी चुनौतीपूर्ण रूप से खुलेआम काबिज है। विवादित जायदाद पर कभी भी काश्त नहीं हुई है।

विवादित सम्पत्ति में से कुछ भूमि रास्ता आम के उपयोग में आ रही है व शेष आराजी खसरा नं. 633 पर वादी बहैसियत मालिक काबिज व दखील है। जिसे वादी कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार रहा है। वादी को अपने व अपने परिवार के रहने के लिये विवादित जायदाद में बने धर खाम व विवादित जायदाद के अलावा और कोई अन्य जायदाद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि यह विवादित जायदाद का अपने को स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित कराये व प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा को पाबंद किया जाये कि वह विवादित जायदाद में बने धार खाम व खूंटा-खनोटो को न तोड़े ना वादी के रहने, उठने-बैठने व उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा न करे। दौराने दावा प्रतिवादीगण विवादित जायदाद से बलपूर्वक बेदखल कर कब्ज कर लें तो उसे जरिये आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादीगण के खर्चे से साफ कराया जाकर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे। प्रतिवादीगण सं. 05 व 06, प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के कहने से वादी को विवादित जायदाद से बलपूर्वक विवादित जायदाद में बने धर खाम को तोड़कर कब्जा करने पर उतारू हैं, लेकिन प्रतिवादीगण सं. 05 व 06 के खिलाफ दावा दायर करने से पूर्व नोटिस धारा 80 सीपीसी दिया जाना आवश्यक है। यदि वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 05 व 06 के खिलाफ नोटिस दिया जाता है तो नोटिस की अवधि में प्रतिवादीगण विवादित जायदाद में बने धन खाम को तोड़कर बेदखल कर देंगे। इस कारण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना कारण 80 सीपीसी की पालना किए पेश किया जा रहा है, जिसे पेश करने हेतु वादी प्रार्थी है। वाद कारण दिनांक 21.02.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को विवादित जायदाद में बने धर खाम को तोड़ने व बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ है जो आज भी जारी है। अंत में वाद का पूर्ण कोर्ट फीस व पर पेश करना व न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होना बताते हुए वादी का दावा मय खर्चा खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जाये-

1. यह कि वादी को वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित व अक्षर अ, ब, स, द, क, ख से नामांकित विवादित जायदाद का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे।

2. यह कि प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा को पाबंद किया जावे कि वह विवादित जायदाद में बने वादी के पुश्तैनी धर खाम को न तोड़े न खूंटा-खनोटो को तोड़े न वादी के सोने, उठने-बैठने, रहने व मवेशी बांधने से रोके न बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा करे न वादी के शांतिपूर्ण उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा करे।

3. यह कि दौराने दावा प्रतिवादीगण विवादित जायदाद से बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा कर ले तो उसे जरिये आदेशात्मक व्यादेश प्रतिवादीगण के खर्चे से वापिस दिलाया जावे।

4. अन्य अनुतोष जो न्यायसंगत व वादी के हित में हो वह भीप्रदान किया जावे।

03- वाद के प्रस्तुत होने पर उसको दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से उपिस्थिति दी गयी। प्रतिवादीगण 5 व 6 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित नही आये न ही उनकी ओर से किसी के द्वारा उपिस्थिति दी गयी, जिस पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

04- प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने वादीगण के कथनों को अस्वीकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 में आराजी खसरा नम्बर 634 रकबा 03 बिस्बा, बाँके ग्राम अलीगढ में वादी की खातेदारी में होना स्वीकार है, शेष मद गलत है जो स्वीकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 633 सरकारी भूमि है जो मिल्कीयत राज्य सरकार है तथा राज्य सरकार का ही कब्जा है। वाद पत्र की मद संख्या 02 में अंकित तथ्य गलत हैं, चतुर्थ सीमाए गलत अंकित की है नक्शा मौके के विपरीत बनाया गया है। संलग्न नक्शा में लाल रंग से प्रर्दर्शित जायदाद किस खसरा नम्बर की है अंकित नहीं है तथा यह भी अंकित नहीं है कि खसरा नम्बर 634 का कितना अंश है तथा खसरा नम्बर 633 का कितना अंश है

कोई उल्लेख नही है। आराजी खसरा नम्बर 634 व 633 व खसरा नम्बर 401 आस पास है। वाद पत्र की मद सं. 03 में अंकित तथ्य गलत है। वादी ने घर खाम, बिटौरा, ईधन झोपडी पीपल का पेड आदि विवादित जायदाद में स्थित होना बताये है जबकि उक्त सभी आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 02 बीघा बाँके ग्राम अलीगढ़ की आराजी के अंश में स्थित है जो प्रतिवादी उत्तरदातागण की खातेदारी की भूमि है। आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम अलीगढ़ के खातेदार काश्तकार प्रतिबादीगण उत्तरदाता व अन्य है। विवादित आराजी बादी की खातेदारी की भूमि नहीं है ना ही बादी का कब्जा है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य गलत है। वादी ने इस मद में यह उल्लेख नहीं किया है कि विवादित जायदाद उसके किस पुरखे की जायदाद थी और विवादित जायदाद कहाँ से कैसे प्राप्त हुई, कौन पुरखा कब मरा, कौन कौन उसके वारिस हुये कितना-कितना उसका हिस्सा रहा कोई उल्लेख नहीं है। वादी ने बाद पत्र के साथ अपना कोई सिजरा भी पेश नही किया है। आराजी खसरा नम्बर 633 जो सरकारी भूमि से लगी हुई प्रतिबादी उत्तरदातागण की आराजी खसरा नम्बर 401 है। वाद पत्र की मद संख्या 05 में अंकित तथ्य गलत है जो स्वीकार नहीं है। वादी ने वाद पत्र के साथ जो नक्शा पेश किया है, वह नक्शा राजस्व रिकार्ड के अनुसार मेल नहीं खाता है। इस मद में वादी अपने आपको एडबर्स पजेशन के आधार पर मालिक काबिज होना बताता है, जबकि वाद पत्र की मद संख्या 04 में वादी विवादित जायदाद को पुस्तैनी जायदाद कहता है। इन दोनों मदों में आपस में विरोधाभास है जो काननून सही नहीं है, कानूनन वादी ने अपनी मिल्कीयत होने के दो बर्जन बताये है जबकि दो बर्जन के आधार पर विवादित जायदाद की मिल्कीयत कानूनन नहीं मानी जा सकती है। वादी ने यह वाद पत्र ईमानदारी व स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है इसलिये भी यह वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 06 में अंकित तथ्य गलत है जो स्वीकार नहीं है। वादी ने इस मद यह उल्लेख नहीं किया है कि विवादित सम्पत्ति में से कुछ भूमि रास्ता आम की भूमि है, लेकिन यह उल्लेख नहीं किया है कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में पूर्व दिशा में आम रास्ता बताया है, कौन सा रास्ता विवादित भूमि का अंश है, स्पष्ट नहीं है या दोनों ही रास्ते विवादित भूमि के अंश है उल्लेख नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 633 राजस्व रिकार्ड के मुताबिक व मौके के मुताबिक

गैर मुमकिन रास्ता की भूमि नहीं है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 633 जो सरकारी भूमि है में कोई किसी प्रकार का हक मालिकाना प्राप्त नहीं होता है ना ही वादी का कब्जा है ना ही वादी अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, क्योकि सरकार द्वारा वादी को धारा 91 एल आर एक्ट का कभी भी कोई नोटिस नहीं दिये है ना ही वादी को प्राप्त हुये है इसलिये वादी का कब्जा नहीं होना स्पष्ट है। वाद पत्र की मद संख्या 07 में अंकित तथ्य गलत है। प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को यह कानूनी अधिकार है कि वह सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 633 बाँके ग्राम अलीगढ पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उसे 91 एलआर एक्ट का नोटिस देकर बेदखल कर सजा व जुर्माना से दण्डित करने का कानूनी अधिकार है। इसमें किसी प्रकार की रोक दीवानी न्यायालय नहीं लगा सकती। आराजी खसरा नम्बर 633 सरकारी भूमि है व आराजी खसरा नम्बर 401 प्रतिवादीगण उत्तरदाता की आराजी है जो खातेदारी की भूमि है उपरोक्त आराजीयात से कोई भी सम्बधं व सरोकार वादी का नहीं है ना ही वादी स्वामी है ना ही वादी का कब्जा है। वादी को वाद पत्र पेश करने का (locus standi) अधिकार हासिल नहीं है क्योकि आराजी खसरा नम्बर 633 सरकारी भूमि है तथा आराजी खसरा नम्बर 401 प्रतिवादीगण उत्तरदाता की आराजी है। विवादित जायदाद वादी की मिल्कीयत व कब्जे की नहीं है इसलिये वादी को किसी भी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। वादी ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रतिवादी सं. 05 व 06 को नहीं दिया है। चूंकि वादी मूल वाद स्वस्व घोषणा व हुक्म इम्तनाई आदि का किया है, जबकि स्वस्व घोषणा के दावे के लिये न्यायालय श्रीमान् को धारा 80(2) सीपीसी के तहत कोई कानूनी नोटिस की छूट नहीं दे सकते। केवल स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में ही धारा 80(2) सीपीसी के तहत न्यायालय द्वारा छूट दी गई है तो वह विधि सम्मत नहीं है। वाद पत्र की मद सं. 13 में अंकित तथ्य गलत हैं जो स्वीकार नहीं है। विवादित जायदाद की मालियत 5.50 लाख रूपये हैं। वादी ने कम न्याय शुल्क पेश किया है इसलिए दावा वादी काबिल खारिजी है। वाद की सुनवाई का अधिकार दीवानी न्यायालय को ना होकर राजस्व न्यायालय को है इसलिए यह वाद काबिल खारिजी है।

05- प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे के विशेष कथनों में कथन किया है आराजी खसरा नम्बर 401 रकबा 02 बीधा बाँके ग्राम अलीगढ़ तहसील बाडी

जिला धौलपुर में स्थित है जिसके प्रतिवादीगण एंव अन्य खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रकरण कृषि भूमि से सम्बधित है कृषि भूमि से सम्बधित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का अधिकार हासिल नहीं है, बल्कि राजस्व न्यायालय को है। वादी ने प्रस्तुत प्रकरण का मूल दावा स्वत्व घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है। स्वत्व धोषणा का दावा बिना धारा 80(2) सी पी सी के नोटिस के चलने योग्य नहीं है, धारा 80(2) सीपीसी के तहत स्वत्व घोषणा के दावे में नोटिस की छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। वादी ने इस वादपत्र में अपनी मिल्कीयत के दो वर्जन होना अंकित किये है इसलिये प्रस्तुत वादपत्र पोषणीय नहीं है। प्रकरण से पूर्व इन्हीं तथ्यों के आधार पर वादी सायल ने एक राजस्व मुकदमा मय प्रार्थनापत्र 212 राज० काश्त० अधि० के तहत श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय, बाडी के यहाँ उनवानी नत्थीलाल बनाम बंगाली बगैरा पेश कर रखा है। जिसमें आगामी पेशी 22.03.2017 नियत है राजस्व मुकदमे व प्रार्थना पत्र 212 राज० काश्त अधि० में प्रतिवादीगण उत्तरदातागण की ओर से जबाब प्रार्थनापत्र व जबाबदाबा पेश किया जा चुका है। वादी को राजस्व न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ इसलिये वादी ने इस न्यायालय के समक्ष उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। जब राजस्व न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो दीवानी न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का व स्थगन आदेश पारित कराने का क्षेत्राधिकार हासिल नहीं होता है। वादी ने वाद पत्र की मद संख्या 05 में अपने आपको ट्रैसपार्सर होना बताया है। कानूनन अतिक्रमी को वास्तविक मालिक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार हासिल नही होता है। अर्सा करीब 8-9 माह पूर्व वादी व उसके परिवारीजन प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 401 पर आये और आकर प्रतिबादीगण की जगह मे जबरन अपने पशुओ को बाँधने लगे प्रतिबादीगण उत्तरदाता ने बादी से कहा कि आप हमारी आराजी में अपने पशुओ को क्यो बाँध रहे हो तो बादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि आपके खेत में मेरी आराजी खसरा नम्बर 634 की आराजी निकल रही है। प्रतिवादीगण उत्तरदाता ने कहा कि आप अपने खेत की पैमाईस करालो तो बादी ने अपने खेत की पैमाईस नही कराई तब प्रतिवादीगण उत्तरदाता ने अपने खेत की पैमाईस कराई और मुताबिक पैमाईस बादी से अपने खेत पर किये गये अतिक्रमण को हटाने

की कहा तो बादी ने प्रतिवादीगण उत्तरदातागण को धमकी दी कि में अपने अतिक्रमण को नही हटाउँगा तब प्रतिवादीगण उत्तरदातागण ने श्रीमान उपखण्डाधिकारी महौदय बाडी, श्रीमानजी तहसीलदार साहब बाडी, थानेदार साहब थाना कंचनपुर को प्रार्थना पत्र दिये तथा उच्चाधिकारियो को जरिये रजिस्टर्ड डाक दी तथा सम्पर्क पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई जिनमें कार्यवाही चल रही है। वादी ने आराजी खसरा नम्बर 401 के सह खातेदार अनारदेई कन्हैया, माया, को पक्षकार मुकद्दमा बनाये तथा सह खातेदारों को बिना सुने उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं है। वादी विवादित जायदाद का स्वामी नहीं है ना ही उसका वैधानिक कब्जा है इसलिये वादी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06- उभयपक्षकारान के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये:-

1. आया वादी वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित विवादित संपत्ति का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किये जाने का अधिकारी है ?

.........वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित जायदाद में बने हुए पुश्तैनी घर व खूंटा, खनोटे को न तोड़े तथा वादी को बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा न करें तथा वादी के शंतिपूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें ?

.........वादी

3. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि विवादित जायदाद से बलपूर्वक बेदखल कर प्रतिवादी कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण के खर्चे पर कब्जा वापस

दिलाया जावे ?

.........वादी

4. आया वादी विवादित जायदाद का स्वामी नहीं है ना ही उसका वैधानिक कब्जा है, इस कारण वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार न होने से दावा खारिज होने के योग्य है ?

.... प्रतिवादीगण

5. आया वादी द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व न्यायालय श्रीमान् उपखण्डाधिकारी बाडी के यहां दावा प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस कारण इस न्यायालय को हस्तगत प्रकरण को सुनने व स्थगन आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

..........प्रतिवादीगण

6. आया विवादित जायदाद कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण न्यायालय को सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

..........प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ।

07- वादी की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.01 नत्थीलाल (स्वंय वादी), पी.डब्ल्यू.02 फत्ते व पी.डब्ल्यू.03 होतम सिंह के बयान लेखबद्ध किए गए एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा अक्श प्रदर्श 01, नकल जमाबंदी प्रर्दश 02, असल पंचनामा प्रर्दश 03, पंचनामा के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श 04, नकल रिपोर्ट जिला कलेक्टर प्रर्दश 05, रजिस्टर्ड रसीद प्रदर्श 06 लगायत 12, नकल जमाबंदी प्रदर्श 13, नकल आदेशिका दावा एसडीएम बाडी प्रदर्श 14, नत्थी बनाम बंगाली नकल निर्णय व उनवानी नत्थी बनाम बंगाली प्रदर्श 15, नकल डिक्री प्रदर्श 16, नकल वाद पत्र प्रदर्श 17, नकल मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 18, नकल नोटिस मौका कमिश्नर प्रदर्श 19, नकल पत्र

कार्यालय तहसीलदार बसेडी प्रदर्श 20 व दावे के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 21 को पेश की प्रदर्शित करवाये गए है।

प्रतिवादी की ओर से अपनी साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.01 मुकेश (स्वयं प्रतिवादी संख्या 2) के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया है।

08- बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वादी अधिवक्ता की ओर से अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुनर्रावत्ति कर तर्क दिया खसरा नंबर 634-633 वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पत्ति है, जिसमें वादी के घरखाम कुआं बने हुए है और जिसे अक्षर अ,ब,स,द,ख से वादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे में अंकित किया गया है । उक्त जायदाद वादी को विरासतन प्राप्त हुई है, जो उसकी पुश्तैनी है । साथ ही वादी के विवादित जायदाद पर उसके पूर्वजों के समय से करीब 100 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी बांधा के शांतिपूर्ण कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही वादी को मालिकाना हक प्राप्त हो गये है । विवादित जायदाद पर तलबी भी काश्त नहीं हुई है । वादी की ओर से इस संबंध में उसके व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वादपत्र, उक्त वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत किया है, जिससे भी वादी के अभिवचनों को समर्थन प्राप्त होता है । वादी की ओर से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट प्रदर्श 18 को भी पेश किया गया है, जिसके अनुसार विवादित खसरा नंबर पर वादी का कब्जा साबित माना गया है । प्रतिवादी द्वारा किये गये कृत्य के संबंध में वादी की ओर से शिकायतें भी प्रस्तुत की गई है । प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाब दावे के साथ कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है और स्वयं खसरा नंबर 634 का वादी की खातेदारी का हकदार होना स्वीकार किया है । राजस्थान सरकार की ओर से भी कोई आपत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है । वादी द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया वाद व हस्तगत वाद में भिन्नता है । न्यायालय को हस्तगत वाद को सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है । विवादित भूमि कृषि नहीं है और आबादी में है, जिस पर कोई काश्त भी नहीं होती है। वादीगण के द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वादपत्र को भली भांति साबित किया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से

वादी के अभिवचनों व साक्ष्य का खण्डन नहीं हुआ है। अंत में उपरोक्त आधारों पर वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा पर अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया है कि खसरा नंबर 633 सरकारी भूमि है तथा उनके खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 401 में स्थित है, जो खसरा नंबर 634 व 633 के आसपास है । वादी ने जो घर का विटौरा, ईंधन, झोपडी आदि विवादग्रस्त जायदाद में होना बताये है, वह सभी आराजी खसरा नंबर 401 रकवा 02 विघा ग्राम अलीगढ की आराजी के अंश में स्थित है, जो प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है । वादी के द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उसको किस पूर्वज से और कब उसको विवादित जायदाद प्राप्त हुई और न ही कितना उसको प्राप्त हुआ, इसका उल्लेख किया गया है । वादी ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिक काबिज होना बताया है, परंतु अपने वादपत्र में उसने विवादित जायदाद को उसने पुश्तैनी होना बताया है, जो आपस में विरोधाभासी है और कानूनी रुप से ठीक नहीं है । दो आधारों पर विवादित जायदाद की मिल्कियत विधि अनुसार माने जाने योग्य नहीं है । खसरा नंबर 633 सरकारी भूमि है, जिस पर कोई हक वादी को प्राप्त नहीं होते है, विवादित जायदाद कृषि भूमि है, जिसके संबंध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । समान तथ्यों के आधार पर वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है, जिस कारण से इस न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने में स्थगन आदेश पारित किये जाने का अधिकार नहीं है । वादीगण द्वारा खसरा नंबर 401 के अन्य सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जबकि उनका बनना आवश्यक था । इसी प्रकार वाद से पूर्व धारा 80(2) सीपीसी का नोटिस भी सरकार को नहीं दिया गया है । सरकारी भूमि पर कोई अधिकार वादी को प्राप्त नहीं होते है और किसी भी प्रकार से उस पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं करा सकता है। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त साक्ष्य से वादपत्र की भली-भांति खण्डन किया है। अंत में उपरोक्त आधारों पर वादी का दावा सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

09- प्रकरण में बहस अंतिम के स्तर पर वादी की मृत्यु होने के पश्चात उसके कायम मुकाम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया गया है और पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

10- उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विरचित की गई तनकियों के संबंध में न्यायालय का विश्लेषण इस प्रकार है -

11- <u>विवाद्यक संख्या-01 व 04</u>

तनकी संख्या 1- आया वादी वाद पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित विवादित संपत्ति का स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किये जाने का अधिकारी है ?

तनकी संख्या 4- आया वादी विवादित जायदाद का स्वामी नहीं है ना ही उसका वैधानिक कब्जा है, इस कारण वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार न होने से दावा खारिज होने के योग्य है ?

उक्त दोनों विवाद्यक एक-दूसरे से संबंधित होने के कारण तथ्यों के दोहराव को रोकने के लिये व सुविधा की दृष्टि से दोनों ही विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक सं० 01 को साबित करने का भार वादी पर था तथा विवाद्यक सं० 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

इस संबंध में वादी का यह अभिवचन रहा है कि उसके स्वामित्व व आधिपत्य के कुंआ घर खाम विटौरा आराजी खसरा नं० 634 व 633 ग्राम अलीगढ तहसील बाडी में बने हुए हैं। जिसको अक्षर अ, ब, स, द, क, ख से अंकित कर लाल रंग से वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है। विवादित संपत्ति वादी को विरासतन प्राप्त हुई थी जो उसकी पुश्तैनी है, जिसको वादी अपने उपयोग में पूर्वजों के समय से बिना किसी बाधा के उपयोग में ले रहा है। वादी का पूर्वजों के समय से विवादित संपत्ति पर कब्जा तथा देरानी

होने से एडवर्स पजेशन से भी वादी को उक्त संपत्ति पर भी वादी को मालिकाना हक प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.01 के तौर पर वादी नत्थीलाल ने स्वयं को परीक्षित करवाया है और उसने अपनी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने उक्त अभिवचनों की पुनर्रावृत्ति की है। दौराने जिरह वादी ने यह कथन किया है कि उसके कुंआ का खसरा नम्बर उसे नहीं पता है। यह कहना सही है कि कुंआ से सटा खसरा नम्बर सरकारी नम्बर 633 है। यह कहना सही है कि सरकारी नंबर और उनके खातेदारी के नंबरो से सटा हुआ प्रतिवादीगण की खातेदारी का खसरा नंबर 401 स्थित है । उसकी जानकारी में नहीं है कि उसका बिटौरा, खूंटा-खनोटों किसकी खातेदारी में बने हैं। फिर खुद कहा कि उसके खातेदारी नंबर है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि नक्शा प्रदर्श 21 पर कितना हिस्सा खसरा नम्बर 633 का अंश है और कितना 634 का अंश है, अंकित नहीं किया गया है। उसने यह स्वीकार किया है कि विवादित जायदाद उसकी पुश्तैनी जायदाद है जो पूर्वज विभूती व घूरे से प्राप्त हुई। उसका पुश्तैनी जगह पर कब्जा है। इसके अलावा किस जगह पर कब्जा है, उसे नहीं पता। उसका उसकी पुश्तैनी जमीन व उससे लगी सरकार जमीन पर कब्जा है। उसका कब्जा दावा से पूर्व 60 वर्ष पूर्व से चला आ रहा है। यह सही है कि उसका कब्जा पूर्वजों के समय से है, इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। वादी की ओर से परीक्षित अन्य गवाह पी.ड.ब्ल्यू.02 फतेह व गवाह पी.डब्ल्यू.03 होतम सिंह ने अपने साक्ष्य में विवादित सम्पत्ति को उनके द्वारा देखे जाने व अलीगढ ग्राम में स्थित होना बताते हुए विवादित जायदाद में वादी का घर खाम बना होना तथा वादी का अपने परिवार के साथ निवास करना जाहिर कर प्रतिवादीगण का विवादित जायदाद पर मालिक व कब्जाधारी नहीं होना बताया है।

इस संबंध में प्रतिवादीगण सं० 01 लगायत 04 की ओर से यह अभिवचन रहे हैं कि आराजी खसरा नं० 634 रकवा 03 विस्वा ग्राम अलीगढ में वादी के खातेदारी की हैं, परंतु आराजी खसरा नं० 633 सरकारी भूमि है जो राज्य सरकार की मिलकियत की है तथा सरकार का ही कब्जा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित जायदाद किस खसरा नम्बर की है,

यह अंकित नहीं किया है और ना ही यह अंकित है कि खसरा नं० 634 व 633 का कितना अंश है। वादी के घर खाम, बिटौरा, ईंधन, झौंपडी, पीपल के पेड विवादित जायदाद में नहीं है, बल्कि खसरा नम्बर 401 रकवा 2 बीघा ग्राम अलीगढ में स्थित हैं जो प्रतिवादीगण के खातेदारी की है। वादी के द्वारा विवादित जायदाद को पुश्तैनी जायदाद होना बताया है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर ही मालिक काबिज होना बताया है जो आपस में विरोधाभासी है। अपने अभिवचनों के समर्थन में प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.01 के तौर पर प्रतिवादी मुकेश को परीक्षित करवाया है और उसने अपनी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने उक्त अभिवचनों की पुनर्रावृत्ति की है। दौराने जिरह वादी ने यह कथन किया है कि खसरा नंबर 633 व 634 की लंबाई चौडाई उसे नहीं पता, उसे खसरा नंबर 401 की लंबाई चौडाई नहीं पता है । यह कहना गलत है कि खसरा नंबर 634 में वादी नत्थीलाल का मकान बना हो व नींव भरी हो । यह सही है कि खसरा नंबर 634 से वादी की खातेदारी दर्ज है, जो उसके पूर्व से उसके पूर्वजों की खातेदारी रही है । आराजी खसरा नंबर 634 में हैण्डपण्ड नहीं लगा है । यह सही है कि इस मामले में पंचायत हुई थी, पंचायत में कोई निर्णय नहीं हुआ, जहां मैं मौजूद नहीं था । यह सही है कि तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 18 तैयार की गई थी, जिस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये थे । यह सही है कि एसडीएम कोर्ट में नत्थी बनाम बंगाली के नाम से दावा चला था, निर्णय की प्रति प्रदर्श 15 है । निर्णय में प्रतिवादीगण को पाबंद किया गया था । यह सही है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध उन्होंने कोई अपील नहीं की । खसरा नंबर 401 के दक्षिण में पीपल का पेड है व खसरा नंबर 633 सिवायचक है । खसरा नंबर 634 में कुआ बना है । विवादित जायदाद में कुआ नहीं है । आराजी खसरा नंबर 401 पर वादी द्वारा करीब साढे तीन विश्वा पर कब्जा कर लिया गया है ।

12- इस प्रकार पत्रावली पर उभय पक्षों द्वारा दिये गए अभिवचनों व उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह स्वीकृत स्थिति है कि खसरा नम्बर 634 रकवा 03 विस्वा ग्राम अलीगढ गैर मुमकीन कुंआ है जो वादी की खातेदारी का है। उक्त तथ्य की पुष्टि वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 02 से भी भली-भांति होती है। प्रकरण में वादी की ओर से तहसीलदार की ओर से बनाया गया मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 18 को भी प्रदर्शित

किया गया है जिसके अनुसार भी खसरा नम्बर 634 रकवा 03 विस्वा किस्म गैर मुमकिन कुंआ नत्थीलाल की खातेदारी का होना बताया गया है। जहां तक खसरा नं० 633 का प्रश्न है तो वादी ने उक्त खसरा नम्बर पर भी अपना स्वामित्व होना बताया है, परंतु स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 13 के अनुसार खसरा नं० 633 की खातेदारी सरकार में निहित होना अंकित है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि खसरा नं० 633 में वादी की खातेदारी नहीं है। यद्यपि वादी की ओर से प्रदर्शित करवाई गई मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 18 के अनुसार खसरा नम्बर 633 के कुछ भाग में वादी के द्वारा कब्जा कर घर बनाना वर्णित किया गया है, परंतु मात्र इन आधारों से यह साबित नहीं हो जाता कि उक्त खसरा नम्बर पर वादी वैध रुप से काबिज है। उक्त खसरा नम्बर स्पष्ट रुप से गैर मुमकिन खड्डा सिवायच राजकीय भूमि है और सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किये जाने से उसका कब्जा वैध साबित नहीं होता है और ना ही ऐसी संपत्ति के संबंध में उसको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य से यह भली-भांति प्रमाणित है कि केवल खसरा नम्बर 634 रकवा 3 विस्वा वादी की खातेदारी की है। उक्त भूमि के संबंध में वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में दावा संख्या 15/2017 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी द्वारा दिनांक 06-06-2017 को निर्णय पारित करते हुए खसरा नम्बर 634 रकवा 03 विस्वा ग्राम अलीगढ गैर मुमकिन कुंआ के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए उनको पाबंद किया गया। वादी की ओर से उक्त दावे की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 17, निर्णय की प्रति प्रदर्श 15 व उक्त वाद की आदेशिकाओं की प्रति प्रदर्श 14 को प्रदर्शित करवाया है। परंतु खसरा नम्बर 633 ग्राम अलीगढ के संबंध में वादी के वैध कब्जे के संबंध में कोई सुदृढ़ साक्ष्य पत्रावली पर वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है और उक्त खसरा नम्बर स्पष्ट रुप से राजस्थान सरकार की खातेदारी का होना प्रमाणित है। वादी की ओर से उक्त दोनों ही खसरा नम्बरों पर स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की घोषणा चाही गई है, परंतु उक्त विवादित संपत्तिया प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से कृषि भूमि है और कृषि भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार राजस्व न्यायालय को रहता है।

जहां तक विवादित संपत्ति में वादी को स्वामी घोषित करने का प्रश्न है तो खसरा नम्बर 634 रकवा 03 विस्वा व खसरा नम्बर 633 दोनों ही राजस्थान सरकार के स्वामित्व की हैं और प्रस्तुत जमाबंदियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त संपत्तियों का भू-धारक राजस्थान सरकार है। ऐसे में सरकार के स्वामित्व की संपत्ति की घोषणा किसी भी पक्ष के हक में किया जाना संभव नहीं है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से प्रकरण में विवादित संपत्ति के स्वामित्व की होना प्रमाणित नहीं है और केवल खसरा नम्बर 634 रकवा 03 विस्वा गैर मुमकिन कुंआ ग्राम अलीगढ की हद तक उसके हक खातेदारी की होना माने जाने योग्य है, परंतु शेष विवादित भूमि पर उसके खातेदारी की होना प्रमाणित नहीं है। उक्त खसरा नंबर 634 रकवा 03 बिस्वा का स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा उसका वादी की खातेदारी में होना अपने जवाब दावे व मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया है । ऐसे में उक्त स्वीकृति होने से खसरा नंबर 634 रकवा 03 बिस्वा के संबंध में आधिपत्य की घोषणा किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से अपने वाद द्वारा वाद की मद सं० 2 में वर्णित सम्पत्ति जिसे वद की मद सं० 3 में अक्षर अ,ब,स,द,क,ख से लाल रंग से वाद के साथ संलग्न नक्शा में दिखाया गया है, के संबंध में अनुतोष चाहा है। परन्तु उक्त सम्पत्ति का कितना हिस्सा खसरा नम्बर 634 में है और कितना खसरा नम्बर 633 का अंश है, स्पष्ट नही किया है न ही वाद के साथ संलग्न नक्शा में बताया गया है। ऐसे में विवाद्यक सं० 01 वादी के विरुद्ध तथा विवाद्यक सं० 04 वादी के हक में आंशिक तौर पर तय किया जाता है।

13- <u>विवाद्यक संख्या 02 व 03</u>

तनकी संख्या 2- आया वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण विवादित जायदाद में बने हुए पुश्तैनी घर व खूंटा, खनोटे को न तोड़े तथा वादी को बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा न करें तथा वादी के शंतिपूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें ?

तनकी संख्या 3- आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादेशात्मक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि विवादित जायदाद से

बलपूर्वक बेदखल कर प्रतिवादी कब्जा कर ले तो प्रतिवादीगण के खर्चे पर कब्जा वापस दिलाया जावे ?

उक्त विवाद्यकों को सिद्ध करने का भार वादी पर होने से व उक्त दोनों विवाद्यक एक-दूसरे से संबंधित होने के कारण तथ्यों के दोहराव को रोकने के लिये व सुविधा की दृष्टि से दोनों ही विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रकरण में वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के माध्यम से विवादित संपत्ति में उसके बने घर खाम, खूंटे-खनोटे नहीं तोडने व प्रतिवादीगण द्वारा उसको बेदखल न करने, कब्जा न करने के संबंध में अनुतोष चाहा है।

इस संबंध में वादी का यह अभिवचन रहा कि दिनांक 27-02-2017 को प्रतिवादीगण सं० 01 लगायत 04 के द्वारा उसकी संपत्ति में रखे बिटोरा, ईंधन व सामान को फेंक कर व उसके घर खाम को तोडने पर उतारु हो गये तथा विवादित संपत्ति से बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी। इस संबंध में उसके ओर से दिनांक 03-03-2017 को शिकायत भी की गई। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में इन्हीं तथ्यों की पुनर्रावृत्ति की है, जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए घर खाम, बिटोरा, ईंधन, झोंपडी, पीपल के पेड वादी की जायदाद में नहीं होकर उसकी जायदाद खसरा नं० 401 बीघा 02 ग्राम अलीगढ के अंश में स्थित होना बताया है और ऐसा ही कथन अपनी साक्ष्य में किया है।

वादी की ओर से प्रस्तुत किये गए वाद संख्या 15/2017 नत्थीलाल बनाम बंगाली व अन्य व उससे संबंधित निर्णय प्रदर्श 15 के अनुसार खसरा नं० 634 के संबंध में राजस्व न्यायालय उपखण्डिधकारी बाडी द्वारा दिनांक 06-06-2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण को पांबद किया जा चुका है। उक्त निर्णय के पश्चात प्रतिवादीगण के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे उनके द्वारा खसरा नं० 634 के संबंध में वादी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न की हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। वादी द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 15/2017 नत्थीलाल बनाम बंगाली व अन्य का दिनांक 01-03-2017 को हस्तगत वाद की प्रस्तुति दिनांक 08-03-2017 से पूर्व में पेश किया जाना उक्त वाद पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 17 व उक्त वाद की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 14 से जाहिर है। इसके अतिरिक्त खसरा

नं॰ 633 का पूर्व विवेचन के अनुसार वादी के वैध स्वामित्व व आधिपत्य की होना प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में विवादित सम्पत्ति का कृषि भूमि होना भी प्रस्तुत सामग्री से प्रकट होता है। ऐसे में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार विवादित जायदाद पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया गया हो ऐसी भी कोई सुदृढ़ साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में दोनों विवाद्यक वादी के विरुद्ध तय किये जाते हैं।

14- <u>विवाद्यक संख्या 05</u>

आया वादी द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व न्यायालय श्रीमान् उपखण्डाधिकारी बाडी के यहां दावा प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस कारण इस न्यायालय को हस्तगत प्रकरण को सुनने व स्थगन आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस संबंध में प्रतिवादीगण का यह अभिवचन रहा है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा उनके विरुद्ध राजस्व न्यायालय के उपखण्ड अधिकारी, बाडी में दावा प्रस्तुत किया हुआ है, जो विचाराधीन है। उक्त तथ्य को स्वयं वादी ने अपनी जिरह में भी स्वीकार किया है तथा वादी की ओर से राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किये गए दावे की प्रमाणित प्रति व उसके पारित निर्णय की प्रतियों को भी पेश किया है। उक्त वाद पत्र प्रदर्श 17 के अवलोकन से खसरा नं॰ 634 रकवा 03 विस्वा ग्राम अलीगढ के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की धमकी देना बताते हुए उक्त वाद को वादी नत्थीलाल द्वारा धारा 188 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट है, परंतु उक्त वाद में हस्तगत वाद के प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया गया है तथा हस्तगत वाद में खसरा नं॰ 634 के अतिरिक्त खसरा नं॰ 633 के संबंध में भी वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है और राजस्व न्यायालय में प्रस्तत किये गए वाद में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया था, जबकि इस वाद में खसरा नं॰ 634 व 633 के संबंध में कब्जे के साथ स्वामित्व की घोषणा का अनुतोष भी चाहा है। ऐसे में दोनों ही दावों में पक्षकार व चाहे गए अनुतोष में भिन्नता है। जिस कारण से पूर्व के वाद के विचाराधीन होने मात्र से हस्तगत वाद को

सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होना माने जाने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार विवाद्यक सं० 05 प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।

15- <u>विवाद्यक संख्या 06</u>

आया विवादित जायदाद कृषि भूमि से संबंधित होने के कारण न्यायालय श्रीमान को सुवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है ?

इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण का यह अभिवचन रहा है कि विवादित संपत्ति कृषि भूमि होने से इन न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस संबंध में पूर्व में प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उक्त आक्षेप को न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। न्यायालय द्वारा विवादित संपत्ति का कृषि प्रयोजनार्थ होने या न होने का तथ्य साक्ष्य का बिंदु होना बताते हुए और इस संबंध में विवाद्यक का विरचित हो जाना जाहिर करते हुए इस बिंदु का निस्तारण साक्ष्य के पश्चात किया जाना अपने आदेश में माना था। प्रकरण में अब उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है और स्वयं वादी की ओर से प्रस्तुत की गई जमाबंदी प्रदर्श 02 व 13 तथा मौका पंचनामा की प्रमाणित प्रति 18 के अनुसार खसरा नं० 634 की किस्म गैर मुमकिन कुंआ एवं खसरा नम्बर 633 की किस्म गैर मुमकिन खड्डा है और उक्त दोनों ही संपत्तियों का भू-धारक राजस्थान सरकार है। खसरा नम्बर 634 के संबंध में स्वयं वादी की ओर से उपखण्ड अधिकारी बाडी में इस वाद के प्रस्तुतीकरण से पूर्व धारा 188 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद 15/2017 प्रस्तुत किया था, जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा निर्णय भी पारित किया गया। उक्त प्रकरण के वाद पत्र की प्रमिाणत प्रति प्रदर्श 17 व उसमें पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 15 पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण के वादी के द्वारा खसरा नम्बर 634 की भूमि की किस्म कृषि होने से ही उसके संबंध में वाद को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और उसके हक में निर्णय भी राजस्व न्यायालय ने दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त न्यायाल द्वारा भी खसरा नम्बर 634 की किस्म को कृषि

मानते हुए ही अपना निर्णय पारित किया है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि खसरा नं० 634 की किस्म कृषि भूमि है। खसरा नम्बर 633 की किस्म गैर मुमकिन खड्डा होता बताई गई है तथा उक्त खसरा नम्बर के कुछ भाग पर वादी का कब्जा भी होना पाया गया है, परंतु पूर्व के विवेचन के अनुसार उक्त संपत्ति पर वादी का कब्जा वैध साबित नहीं हुआ है तथा मात्र किसी संपत्ति पर काश्त नहीं होने से या उसके आबादी में आ जाने से उसकी किस्म में परिवर्तन नहीं होता है और बिना भूमि की किस्म को परिवर्तन कराये उसका आबादी की हो जाना साबित नहीं होता है। वादी द्वारा जो अनुतोष अपने वाद के माध्यम से चाहा गया है, वह भी राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है । अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार विवाद्यक सं० 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

16- **<u>अनुतोष</u>**

हस्तगत वाद में अनुतोष हेतु वादीगण का विवाद्यक संख्या 01, 02, 03 अपने पक्ष में स्थापित किया जाना आवश्यक था, जिसमें वह असफल रहा तथा विवाद्यक संख्या 04 व 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किए गए हैं। ऐसे में वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

<u>--आदेश--</u>

17- परिणामस्वरूपः वादी नत्थीलाल पुत्र धुर्रे (दौराने विचारण फौत) जरिये रामबेटी व अन्य विरुद्ध प्रतिवादीगण बंगाली पुत्र बाल मुकुन्द (दौराने विचारण फौत) व अन्य बाबत स्वत्व घोषणा, हुक्म इम्तनाई दवामी व सादेशात्मक व्यादेश अस्वीका कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा उपरोक्तानुसार बनाया जावे।

(आयुष गुप्ता)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
सं० 03 बाडी, जिला धौलपुर

18- निर्णय व आदेश आज दिनांक 30-03-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(आयुष गुप्ता)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
सं० 03 बाडी, जिला धौलपुर

VISHAL KUMAR

"I attest to the authenticity and accuracy of this document"
Digitally signed by VISHAL KUMAR
Location: Bari Dholpur Rajasthan
Date: 2026.04.16 12:30:02 +0530